उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-1
संख्या- 31 /2026/295/तीस-1-2026
लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2026

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-19/2026/50/तीस-1-2026, दिनांक 09.03.2026 द्वारा जनपद कुशीनगर के पड़रौना बस स्टेशन का जीर्णोद्धार/उच्चीकरण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 729.28 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 39.65 लाख (रू0 उन्तालीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) का शासनादेश संख्या-15/2023/330/तीस-1-2023, दिनांक 30.03.2023 का उल्लेख शासनादेश संख्या-19/2026/50/तीस-1-2026, दिनांक 09.03.2026 में टंकण त्रुटिवश अंकित नही हो पाया है।

3- अत: उक्त शासनादेश संख्या-19/2026/50/तीस-1-2026, दिनांक 09.03.2026 के प्रस्तर-1 में प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) का शासनादेश संख्या-15/2023/330/तीस-1-2023, दिनांक 30.03.2023, पढ़ा जाए।

उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

<u>संख्या: 31 /2026/ 295 (1) /तीस-1-2026, तददिनांक।</u>
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
9. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
12. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9।
13. परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन ।
14. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
15. गाई फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-
अरविन्द कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in